# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—433 / 2012 / 225 (2012 / 00125)**

1. हरनारायण सिंह पुत्र रघुवीर सिंह,
2. जयनारायण पुत्र रघुवीरसिंह,
3. श्रीमती महेन्द्र कंवर पुत्री रघुवीर सिंह,
4. उच्छव कंवर पुत्री रघुवीर सिंह,
5. उम्मेद कंवर पुत्री रघुवीर सिंह,
6. दुर्गेश कंवर पुत्री रघुवीर सिंह,
7. संजय कंवर पुत्री रघुवीर सिंह,
8. शिव कंवर बेवा सत्यनारायण सिंह,
9. प्रवीण सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह,
10. नटवर कंवर पुत्री सत्यनारायण सिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी मेहरूकलां, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ भंवरसिंह पुत्र यज्ञनारायण सिंह (फौत—नाम तर्क)
2. यशपाल सिंह पुत्र यज्ञनारायण सिंह,
3. राजेश्वरी सिंह पुत्री यज्ञनारायण सिंह,
4. उमासिंह उर्फ विमला पुत्री यज्ञनारायण सिंह,
5. विरेन्द्र सिंह पुत्र यज्ञनारायण सिंह (फौत—नाम तर्क)
6. नागेन्द्र सिंह पुत्र यज्ञनारायण सिंह
7. बिन्दु सिंह पुत्री यज्ञनारायण सिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी मेहरूकलां, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

**असल—रेस्पोडेंटस**

8. कुलदीप सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह,
9. वीरप्रताप सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह,

समस्त जाति राजपूत, निवासी मेहरूकलां, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

**तरतीबी रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 30.4.2012 अंतर्गत प्रकरण संख्या 118 / 2005.**

**उपस्थितः—**

1. श्री वी0पी0सिंह राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 4 एवं 7.
3. रेस्पो0 संख्या 6, 8 व 9 अनुपस्थित ।

# निर्णय

**दिनांकः— 04.02.2021**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 30.4.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलांटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 197, 1535, 1782 व 2246 कुल किता 4 कुल रकबा 114 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी के खातेदारी जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 एवं संवत् 2041 के मुताबिक श्रीमती कच्छबाई थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 13 से 15 वादग्रस्त भूमि के बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है । उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 286, 2445, 3240, 3241, 3242 व 3328 बने है जिनमें से कुछ रकबा विक्रय किया जा चुका है । प्रतिवादीगण/अपीलांटस का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण रघुवीरसिंह की द्वितीय पत्नी श्रीमती राजावतजी के पुत्र व पौत्रादि है जिनका श्रीमती कच्छबाई की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन तत्कालीन सरपंच से मिलकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने अपने आप को कच्छबाई के वारिसान होना अंकित करते हुए वादग्रस्त भूमि का इंद्राज अपने नाम करवा लिया जो प्रारंभ से ही अवैध है । उक्त अवैध इंद्राज के आधार पर अप्रार्थीगण/अपीलांटस प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधीनस्थ न्यायालस ने अपने आदेश दिनांक 30.4.2012 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 7 का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त साबित नहीं होने के बावजूद तथा प्रथम दृष्टया टाईटल साबित नहीं होने के बावजूद अपीलांटस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 स्वंय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि रघुवीरसिंह की दो पत्नियां थी एवं उन्होंने अपने निर्णय में यह भी स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि कौनसी कच्छबाई के नाम दर्ज है यह तथ्य बाद साक्ष्य एवं परीक्षण मूल वाद में तय किया जावेगा तो ऐसी स्थिति में उनका यह विधिक दायित्व था कि वर्तमान में दर्ज इंद्राजात के मध्यनजर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज करते। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । हस्तगत प्रकरण में तो रेस्पो0 अपना टाईटल अथवा कब्जा किसी भी प्रकार से साबित करने में सफल नहीं रहे है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने का अपीलांटस के विरूद्ध जो

अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है वह विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को निर्णित करते समय विधि द्वारा अंकित तीनों अहम बिन्दुओं यथा– प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति को अपने निर्णय में विश्लेषित एवं विवेचित किये बिना सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया कि अपीलांटस वादग्रस्त भूमि के खातेदार एवं स्व0 रघुवीर सिंह की द्वितीय पत्नि श्रीमती चन्द्रकंवर कच्छबाई के विधिक उत्तराधिकारी है जिनके नाम उनकी मृत्यु के पश्चात् विधिवत् तौर पर नामांतकरण खोला जाकर खातेदारी दर्ज की गई है एवं अपीलांटस वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है । रेस्पो0 रघुवीर की प्रथम पत्नि श्रीमती चन्द्रकंवर के वारिस है जिसे वे स्वंय अपने वादपत्र व प्रार्थना पत्र में स्वीकार करते है तथा श्रीमती चन्द्र कंवर कच्छबाई की मृत्यु दिनांक 27.6.1953 को ही हो चुकी थी एवं अपीलांटस की माता का देहांत दिनांक 14.12.1999 को हुआ है । ऐसी स्थिति में श्रीमती चन्द्रकंवर कच्छबाई की मृत्यु होने पर उनके स्थान पर जो उत्तराधिकार नामांतकरण खोले गये है वे विधिवत् रूप से खोले गये है क्योंकि वादग्रस्त भूमि से श्रीमती चांदकंवर एवं उनके वारिसान का कोई संबधं व सरोकार नहीं है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दू अपीलांटस के पक्ष में साबित थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 197, 1535, 1782 व 2246 कुल किता 4 कुल रकबा 114 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी के खातेदारी जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 एवं संवत् 2041 के मुताबिक श्रीमती कच्छबाई थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 7 एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 13 से 15 वादग्रस्त भूमि के बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है । उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 286, 2445, 3240, 3241, 3242 व 3328 बने है जिनमें से कुछ रकबा विक्रय किया जा चुका है तथा अप्रार्थीगण/अपीलांटस का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण रघुवीरसिंह की द्वितीय पत्नी श्रीमती राजावतजी के पुत्र व पौत्रादि है जिनका श्रीमती कच्छबाई की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन तत्कालीन सरपंच से मिलकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने अपने आप को कच्छबाई के वारिसान होना अंकित करते हुए वादग्रस्त भूमि का इंद्राज अपने नाम करवा लिया जो प्रारंभ से ही अवैध है । जबकि विवादित आराजियात कब्जा काश्त रेस्पो0 संख्या 1 से 7 का चला आ रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत विवादित आराजियात पर रेस्पो0 संख्या 1 से 7 का कब्जा काश्त होने से प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर अपीलांटस को प्रार्थीगण/रेस्पो0 के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 में यह कथन अंकित किया

है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 197, 1535, 1782 व 2246 कुल किता 4 कुल रकबा 114 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी के खातेदारी जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 एवं संवत् 2041 के मुताबिक श्रीमती कच्छबाई थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 13 से 15 वादग्रस्त भूमि के बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है । उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 286, 2445, 3240, 3241, 3242 व 3328 बने है जिनमें से कुछ रकबा विक्रय किया जा चुका है । प्रतिवादीगण/अपीलांटस का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण रघुवीरसिंह की द्वितीय पत्नी श्रीमती राजावतजी के पुत्र व पौत्रादि है जिनका श्रीमती कच्छबाई की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं है लेकिन तत्कालीन सरपंच से मिलकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने अपने आप को कच्छबाई के वारिसान होना अंकित करते हुए वादग्रस्त भूमि का इंद्राज अपने नाम करवा लिया जो प्रारंभ से ही अवैध है । उक्त अवैध इंद्राज के आधार पर अप्रार्थीगण/अपीलांटस प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 30.4.2012 द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 को ताफैसला दावा इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त में ना तो स्वंय बाधा उत्पन्न करे ना ही अन्य से करावें । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात जमाबंदी संवत् 2023 से 2025 तक कच्छबाई जोजे रघुवीर सिंह के नाम दर्ज है तथा वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में भी इन्हीं के नाम दर्ज है । रानी कच्छबाई की मृत्यु उपरांत विरासत का नामांतकरण संख्या 538 दिनांक 30.5.2000 हरिनारायणसिंह हिस्सा 7/8, कुलदीपसिंह 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ है । प्रार्थी/रेस्पो0 का कथन रहा है कि रघुवीर सिंह के दो पत्नियां चन्द्रकंवर व चांद कंवर होना जाहिर करते हुए दोनों को ही कच्छबाई होना बताया है । विवादित आराजियात कौन सी कच्छबाई के नाम दर्ज हुई है तथा प्रार्थीगण/रेस्पो0 को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है यह तथ्य वाद में बाद साक्ष्य निर्धारित किया जावेगा किन्तु विवादित आराजियात प्रथमदृष्टया पैतृक होना जाहिर होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांटस को प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.4.2012 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**